[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 15/2022-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2022

सा. का. नि. (अ)- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विस्तार तक, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचना का और संशोधन करती है, अर्थात् :-

सारणी

क्रम	अधिसूचना संख्या और	संशोधन							
सं.	 तारीख								
(1)	(2)	(3)							
1.	अधिसूचना सं. 25/2002-	उक्त अधिसूचना में आरम्भिक पैरा में, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखि							
	सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च,	परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-							
	2002 सा. का. नि. 122(अ)								
	तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा	"परन्तु यह और कि इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च,							
	प्रकाशित ।	2024 के पश्चात् लागू नहीं होगी ।"।							
2.	अधिसूचना सं. 24/2005-	उक्त अधिसूचना में, सारणी में							
	सीमाशुल्क, तारीख 01 मार्च,	(i) क्रम सं. 13ध के सामने स्तंभ 3 में मद (ञ) के पश्वात् 1 अप्रैल, 2022							
	2005 सा. का. नि. 122(अ)	से निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-							
	तारीख 01 मार्च, 2005 द्वारा	"(ट) कलाई में पहनने योग्य युक्ति (जो सामान्यतः स्मार्ट घड़ी के रूप							
	प्रकाशित ।	जानी जाती है)";							
		(ii) क्रम सं. 23 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर 1 अ							
		2022 से निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-							
		"23. 8541 (सिवाय 8541 फोटोवोल्टिक सेल, चाहे मॉड्यूल में							
		42 00 या 8541 43 एकत्रित हों या न हो पैनल में बने हों							
		00) या न बने हो, के सिवाए सभी माल।";							
	(iii) क्रम सं. 38 के पश्चात् 1 अप्रैल, 2022 से निम्नलिखित ब्र								

	प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-									
		प्रावाध्या अतःस्थापित का जाएगा, अथात् :-								
			8541 42 00 र	या क्रम संख्यांक 1 से 38 के अधीन						
			8541 43 00	आने वाले मालों के साथ केवल						
				और अनन्यतः उपयोग के लिए						
				सभी माल।						
3.	216211-11 11 21/2001	T= 216	<u> </u>	*						
5.	अधिसूचना सं. 25/2005- सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च,		उक्त अधिसूचना में, सारणी में,- (i) क्रम सं. ९ के सामने, स्तंभ (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर "टेलिफोन							
	2005 सा. का. नि. 123(अ)	लाइन हैण्डसैट" प्रविष्टि रखी जाएगी;								
	तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,								
	प्रकाशित ।	(ii) क्रम सं. 28 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित								
		क्रम सं.	क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-							
		"28	8544 42,	सेलुलर मोबाइल फोन के लिए यूएसबी						
			8541 49	केबल्स के सिवाय दूर-संचार के लिए						
				उपयोग किए जाने वाले प्रकार के 80 वी						
				से अधिक वोल्टेज के लिए, इलेक्ट्रिक						
				कंडक्टर ।";						
		(iii) क्रम सं. 28 के सामने, स्तंभ (3) में "मोबाइल फोन" शब्दों के स्थान पर "मोबाइल फोन या कलाई पर पहने योग्य युक्ति (जो सामान्यतः स्मार्ट घडी के रूप में जानी जाती है)" शब्द 1 अप्रैल, 2022 से रखे जाएंगे।								
		(iv) क्रम सं. 32 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां 1 अप्रैल, 2022 से अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-								
		"32क	8541 42 00	क्रम संख्यांक 1 से 32 के अधीन आने						
			या	वाले मालों के साथ केवल और						
			8541 43 00	अनन्यतः उपयोग के लिए सभी						
			8341 43 00	माल ।";						
4.	अधिसूचना सं. 57/2017-									
	सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 सा. का. नि. 798(अ)									
	तारीख 30 जून, 2017 द्वारा	,								
	प्रकाशित ।		S	ाइल फोन या कलाई में पहनने योग्य युक्ति						
		(जो सामान्यतः स्मार्ट घड़ियों के रूप में जानी जाती है) के								

	(::) 							
	(ii) क्रम सं. 6ख के सामने, स्तंभ (3) में, परन्तुक का लोप किया जाएगा							
	(iii) क्रम सं. 13क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् नि							
	क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-							
		"13ख.		चार्जर/एडाप्टर के	5%	1";		
				ट्रांसफॉर्मर के विनिर्माण में				
				उपयोग के लिए				
				निम्नलिखित माल :-				
			3208 90 49	(क) वार्निश				
			3919 90 90	(ख) इन्सुलेशन टेप				
			8504 90 10	(ग) फेराइट कोर				
			8544 11 10	(घ) तांबे के तार तामचीनी				
			8544 49 99	(ङ) ट्रिपल इन्सुलेटेड घुमावदार तार				
				परन्तु इस क्र. सं. में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी ।				
	(iv) क्रम सं. 18 के सामने, स्तंभ (2) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, "8 (8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30 और 8518 90 00 सिवाय)" प्रविष्टियां रखी जाएंगी;							
सीमाशुल्क, तारीख 2	(i) क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :- "1क. टैरिफ मद 3006 10 10 के अधीन आने वाले सर्जिकल टांके के निर्माण में उपयोग के लिए टैरिफ मद 9018 32							
	सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2020 सा. का. नि. 68(अ) तारीख 2 फरवरी,	(iv) इ (8518 सिवाय अधिसूचना सं. 8/2020- सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2020 सा. का. नि. 68(अ) तारीख 2 फरवरी,	(iv) क्रम सं. 18 (8518 21, 851 सिवाय)" प्रविष्टिय अधिसूचना सं. 8/2020- सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2020 सा. का. नि. 68(अ) तारीख 2 फरवरी, 2020 द्वारा प्रकाशित ।	(iv) क्रम सं. 18 के सामने, स्त (8518 21, 8518 22, 8518 सिवाय)" प्रविष्टियां रखी जाएंगी; अधिसूचना सं. 8/2020- सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2020 सा. का. नि. 68(अ) तारीख 2 फरवरी, 2020 द्वारा प्रकाशित । "13ख. (iv) क्रम सं. 18 के सामने, स्त (8518 21, 8518 22, 8518 सिवाय)" प्रविष्टियां रखी जाएंगी; उक्त अधिसूचना में, सारणी में, (i) क्रम सं. 1 और उससे संबं सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित विश्वां अंतःस्थां अंतःस्थापित विश्वां अंतःस्यां अंतःस्थापित विश्वां अंतःस्थापित विश्वां अंतःस्थापित विश्वां अंतःस्थां यो अंतःस्यां यो अंतःस्थां यो अंतःस्थां यो अंतःस्थां यो अंतःस्थां यो अंतःस्	"13ख. चार्जर/एडाप्टर के ट्रांसफॉर्मर के विनिर्माण में उपयोग के लिए निम्नलिखित माल :- 3208 90 49 (क) वार्निश 3919 90 90 (ख) इन्सुलेशन टेप 8504 90 10 (ग) फेराइट कोर (घ) तांबे के तार तामचीनी 8544 49 99 (इ) ट्रिपल इन्सुलेटेड घुमावदार तार परन्तु इस क्र. सं. में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी। (iv) क्रम सं. 18 के सामने, स्तंभ (2) में, पविष्टियों के स्थान (8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30 और 8518 इस्वाय)" प्रविष्टियां रखी जाएंगी; अधिसूचना सं. 8/2020- सीमाथुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2020 सा. का. नि. 68(अ) तारीख 2 फरवरी, 1300 सा. प्रकाशित प्रविष्टियां के पश्चात्, निम्नल सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-	"13ख. वार्जर/एडाप्टर के ट्रांसफॉर्मर के विनिर्माण में उपयोग के लिए निम्नलिखित माल :- 3208 90 49 (क) वार्निश 3919 90 90 (ख) इन्सुलेशन टेप 8504 90 10 (ग) फेराइट कोर 8544 11 10 (इ) तांबे के तार तामचीनी 8544 49 99 (इ) ट्रिपल इन्सुलेटेड चुमावदार तार परन्तु इस क. सं. में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी। (iv) क्रम सं. 18 के सामने, स्तंभ (2) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, "ह (8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30 और 8518 90 00 सिवाय)" प्रविष्टियां रखी जाएंगी; अधिस्चना सं. 8/2020- सीमाशुल्क, तारीख 2 (ा) क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :- ("1क. टिरिफ मद 3006 10 10 के अधीन आने वाले सरिट टोंक के निर्माण में उपयोग के लिए टैरिफ मद 901		

[फा. सं. 334/01/2022-टीआरयू]

(नितिश कर्नाटक)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण:

- 1. मूल अधिसूचना संख्या 25/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.िन. 122(अ) तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 57/2021- सीमाशुल्क, तारीख 29 दिसंबर, 2021 द्वारा संशोधित की गई थी, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.िन 906(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
- 2. मूल अधिसूचना संख्या 24/2005-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड-3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.िन.122(अ) तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 57/2021- सीमाशुल्क, तारीख 29 दिसंबर, 2021 द्वारा संशोधित की गई थी, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.िन. 906(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
- 3. मूल अधिसूचना संख्या 25/2005-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड-3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि.123(अ) तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 57/2021- सीमाशुल्क, तारीख 29 दिसंबर, 2021 द्वारा संशोधित की गई थी, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 906(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
- 4. मूल अधिसूचना संख्या 57/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.िन. 798(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 57/2021- सीमा शुल्क, तारीख 29 दिसंबर, 2021 द्वारा संशोधित किया गया था, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.िन. 906(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।
- 5. मूल अधिसूचना संख्या 8/2020-सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2020, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 68(अ), तारीख 2 फरवरी, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी

और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 22/2021- सीमा शुल्क, तारीख 31 मार्च, 2021 द्वारा संशोधित की गई थी, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, 5प-खंड (i) में संख्या सा.का.िन. 237(3), तारीख 31 मार्च, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।